न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील / एलआर / 489 / 2006 / करौली

1– श्रीमती अंगूरी देवी
2– बरफी देवी } पुत्रियां मिश्री लाल जैन
3– पुष्पेन्द्र कुमार जैन पुत्र मिश्री लाल जैन
4– दाखा देवी बेवा मिश्री लाल जैन
5– केवलचन्द जैन पुत्र मिश्री लाल जैन
निवासी बड़ा बाजार करौली तहसील एवं जिला करौली।

–अपीलांट्स

बनाम

1– श्रीमती ऊषा देवी पत्नी विमल कुमार जैन
2– राजकुमार जैन पुत्र विमल कुमार जैन
3– विमल कुमार जैन पुत्र मिश्री लाल जैन
निवासी बड़ा बाजार तहसील व जिला करौली।

–रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ
श्री राजेश सिंह, सदस्य

उपस्थितः–
1. श्री जी. बाढ़दार, अभिभाषक अपीलांट्स।
रेस्पोडेट्स बाजवूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक– 15–5–2026

हस्तगत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत् राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलेक्टर, करौली द्वारा ग्राम कांचरौली तहसील हिण्डौन स्थित आराजी खसरा नंबर 2082 रकबा 0.15 हेक्टेयर बाबत् रेस्पोडेंट संख्या 3 के पक्ष में पारित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 6–3–2003 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29–10–2005 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मेंटेनेबल

नहीं होने से खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2005 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी।

4– अपीलांट्स के योग्य अभिभाषक ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट मृतक मिश्री लाल के वारिस हैं और मिश्रीलाल की भूमि पर बतौर विरासत उत्तराधिकारी काबिज हैं। ग्राम कांचरौली तहसील हिण्डौन स्थित आराजी खसरा नंबर 2082 रकबा 0.15 हेक्टेयर अपीलांट के पूर्वज मिश्रीलाल की खातेदारी में थी। उक्त भूमि के आगे एक पेट्रोल पंप मैसर्स मिश्रीलाल जैन एण्ड सन्स के नाम से चल रहा है, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 3 के मुखिया विमल कुमार ने अपनी 40 प्रतिशत भागीदारी रखी, शेष 40 प्रतिशत की भागीदारी अपीलांट पुष्पेन्द्र की रही तथा 10 प्रतिशत अपीलांट संख्या 4 की रही और 10 प्रतिशत अन्य अपीलांट की रही है। रेस्पोडेंट संख्या 3 ने गलत रूप से उक्त विवादित आराजी का किस्म परिवर्तन अपने नाम करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण गैर मुमकिन आबादी का बताकर जो अपील संधारणीय न होना माना है, वह गलत है। जबकि संपरिवर्तन के बाद ही आबादी में परिवर्तन की गई और उसे संपरिवर्तन के आदेश को चुनौती दी गई थी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु को नजरअंदाज कर अपील खारिज करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2005 एवं जिला कलेक्टर, करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–3–2003 निरस्त किये जावे।

5– हमने अपीलांट के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया और पत्रावली का ध्यायपूर्वक अध्ययन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट्स द्वारा जिला कलेक्टर, करौली के समक्ष राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण) क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन नियम 1992 के तहत खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2082 गैर मुमकिन आबादी में से पेट्रोल पम्प्प हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 6–3–2003 से उक्त भूमि बाबत संपरिवर्तन आदेश पारित किए । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने उक्त आदेश के विरूद्व सुनवाई का अधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से सक्षम न्यायालय में

कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित किए । अपीलाण्ट द्वारा जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण) क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन नियम 1992 के तहत पारित आदेश के विरूद्व संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील पोषणीय है एवं संभागीय आयुक्त के न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिए थी लेकिन उनके द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। इस कारण राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपील के गुणावगुण पर गौर किए बिना अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की है । उक्त आदेश के विरूद्व अपीलाण्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं कर राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील प्रस्तुत की है जो न्यायोचित नहीं है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं है । हमारी सुविचारित राय में ऐसे विधिसम्मत आदेश में द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसे आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है । अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिए स्वतंत्र है ।

7— उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजेश सिंह)

सदस्य